मध्यप्रदेश शासन

MSME CONVENTION 2016
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सम्मेलन

दृष्टि-पत्र

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
मध्यप्रदेश

विषय - सूची

प्रस्तावना

1. परिचय 04

1.1 मध्यप्रदेश: भारत में आर्थिक विकास में अग्रणी प्रदेश की कहानी 04

1.2 विकास अनिवार्यता 08

2. मध्यप्रदेश के एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण बदलाव 12

2.1 मानव पूॅंजी का विकास 13

2.1.1 उद्यमिता विकास 13

2.1.2 रोजगार 14

2.1.3 व्यवसायिक प्रशिक्षण 14

2.1.4 ग्रामीण सशक्तिकरण 15

2.2 अधोसंरचना को सक्षम करना 16

2.2.1 औद्योगिक अधोसंरचना विकास 16

2.2.2 एमएसएमई समूह (क्लस्टर)/हब विकास 17

2.3 नवाचार और प्रोत्साहन 18

2.3.1 नवाचार पूॅंजी एवं ज्ञान 18

2.3.2 प्लग एण्ड प्ले मॉडल का अंगीकरण 18

2.3.3 तकनीकी उन्नयन 19

2.3.4 बाजार की उपलब्धता 19

2.4 वित्त की उपलब्धता 20

2.4.1 राज्य की सुविधाएं 20

2.4.2 स्वरोजगार योजनाएं 20

2.4.3 एमएसएमई का समर्थन करने के लिए वित्तीय संस्थाओं को मार्गदर्शन 21

2.4.4 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के साथ संरेखण 21

2.5 क्रियान्वयन और शासन रूपरेखा 22

2.5.1 अनुकूल नीतिगत माहौल 22

2.5.2 एकल खिडकी प्रणाली- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से एमएसएमई का सुदृढ़ीकरण 22

2.5.3 एमएसएमई बिजनेस फेसिलिटेशन सेंटर (एमबीएफसी) की स्थापना- प्रभावी क्रियान्वयन की ओर एक कदम 23

2.5.4 शासन एवं शिक्षण 23

3. हमारे प्रयास 24

4. शब्दावली 25

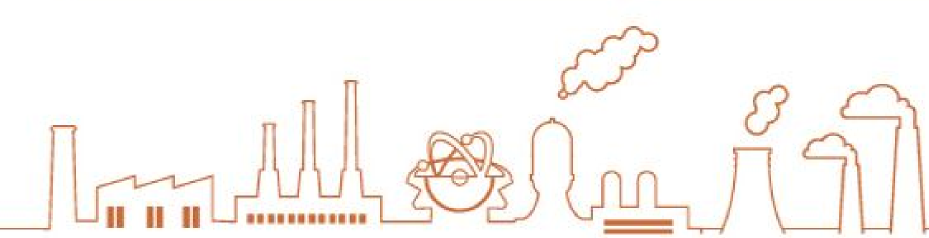

प्रस्तावना

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), किसी भी राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में एक उल्लेखनीय भूमिका निभाता है, अक्सर उद्यमिता को बढ़ावा देने का कार्य करता है। एमएसएमई क्षेत्र राज्य के विनिर्माण उत्पादन, रोजगार और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है और अधिक रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।

हमारा प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना "मध्य प्रदेश में विनिर्माण" अभियान अंतर्गत एमएसएमई को प्रोत्साहित एवं विकसित करने हेतु स्थायी मंच प्रदान कर राज्य में उन्हें संवर्धित और बढ़ावा दिया जाये। इसके लिए बुनियादी सुविधाओं व प्रोत्साहन द्वारा सहायता और संसाधनों के भरपूर उपयोग के माध्यम से प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देना प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हाल के दिनों में मध्यप्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए हैं, जिसमें नए कारोबार के लिए अवसर बढ़े हैं और कई विविध निवेश सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में आ रहे हैं। देश में सवर्प्रथम आधोसंरचना के क्षेत्र में निजी निवेश लाने का श्रेय भी मध्यप्रदेश को ही जाता है। उसी सतत् उर्जा एवं महत्वकांक्षा के साथ राज्य शासन भविष्य में भी एमएसएमई क्षेत्र को राज्य हर संभव सहायता देगा, जो प्रदेश में उद्योगों का भविष्य और स्थिरता को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इस पृष्ठभूमि के साथ मैं एमएसएमई क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश सरकार के दृष्टिपत्र और उच्चतम स्तर के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए इस संभावनापूर्ण क्षेत्र की कार्य पद्धति को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। यह भी आशा करता हूँ कि यह दृष्टिपत्र एमएसएमई क्षेत्र समृद्धि के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा की गई पहल को दिशा देने में सक्षम होगा।

मैं इस दृष्टि-पत्र को तैयार करने हेतु बहुमूल्य जानकारी प्रदाय करने वाले सभी का हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस अवसर का लाभ लेते हुए मैं इस दृष्टिपत्र एवं म. प्र. की एमएसएमई के विकास हेतु हमारे मॉडल पर आप सभी की टिप्पणियों और सुझावों को आमंत्रित करता हूँ।

01 अक्टूबर, 2016
भोपाल

संजय सत्येंद्र पाठक
राज्यमंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
(स्वतंत्र प्रभार)
मध्यप्रदेश सरकार

1. परिचय

1.1 मध्यप्रदेश: भारत में आर्थिक विकास में अग्रणी प्रदेश की कहानी

आर्थिक प्रदर्शन

भारत के हदय क्षेत्र में स्थित यह राज्य देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बडा राज्य है, जनसंख्या में इसका क्रम छठा है और राज्य सकल घरेलू उत्पादन में यह देश का नवॉ सबसे बड़ा राज्य है।

मध्यप्रदेश देश में सबसे तेजी से विकसित हो रहे राज्यों में अग्रणी है। वर्ष 2014-15 के लिए राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 5.08 लाख करोड रूपए था। वर्ष 2013-2014 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से 16.85 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई और पिछले दशक (2004 से 2015) के दौरान इसकी सालाना चक्रवद्धि सकल राज्य घरेलू उत्पाद दर 14.6 प्रतिशत थी। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि पिछले 4 सालों में यह दर लगातार 10 प्रतिशत से अधिक रही जो राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर है।[1]

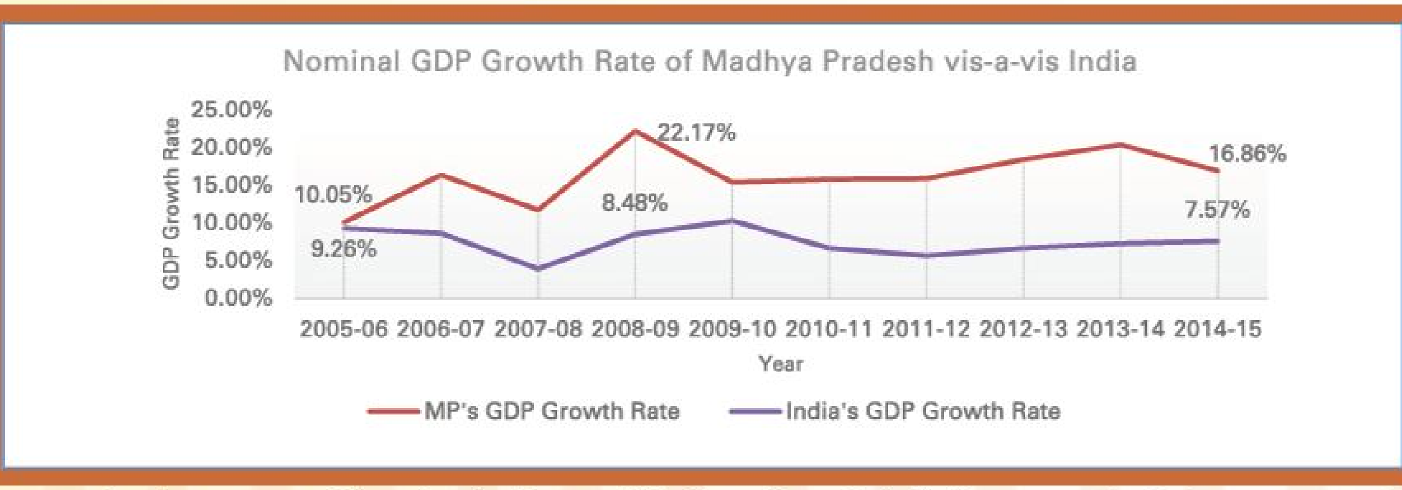

मध्य प्रदेश के मजबूत आर्थिक ग्रोथ के लिए 2 अंकों की वृद्धि सभी क्षेत्रों में आवश्यक है, विशेष कर राज्य की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और तृतीयक क्षेत्र के अन्तर्गत। मध्यप्रदेश राज्य कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से निकलकर तृतीयक अर्थव्यवस्था की और अग्रेषित हो रहा है। वर्ष 2014-15 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में अकेले तृतीयक क्षेत्र का कुल भाग 42.18 प्रतिशत है। इसके बाद 36.73 प्रतिशत हिस्सा प्राथमिक (कृषि) क्षेत्र का है और अंत में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कुल 21.09 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश में द्वितीयक क्षेत्र, जो कि मुख्यत: उद्योगों के सहारे है, की सुस्थिर और उल्लेखनीय हिस्सेदारी मध्यप्रदेश के आर्थिक विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शित करती है।

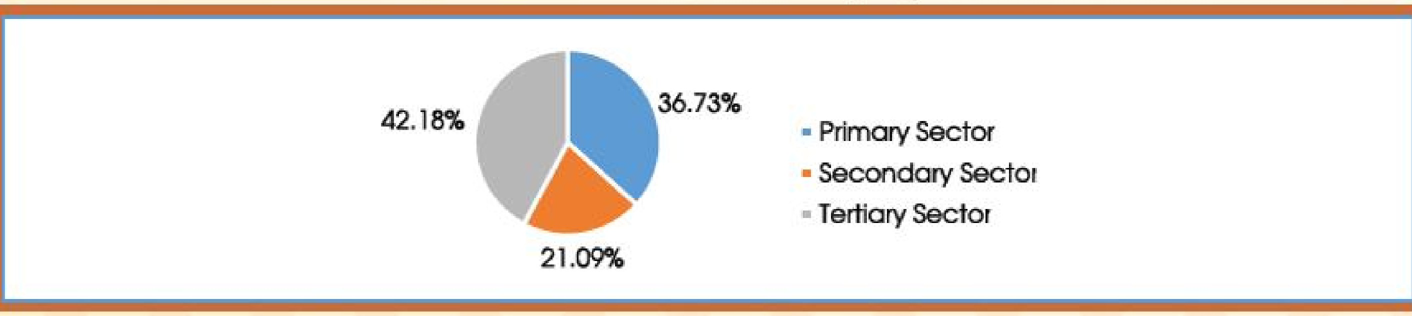

[1] 2015-16 मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण

मध्य प्रदेश के अभूतपूर्व आर्थिक विस्तार ने राज्य की प्रति व्यक्ति आय को अधिक बढ़ाया है:

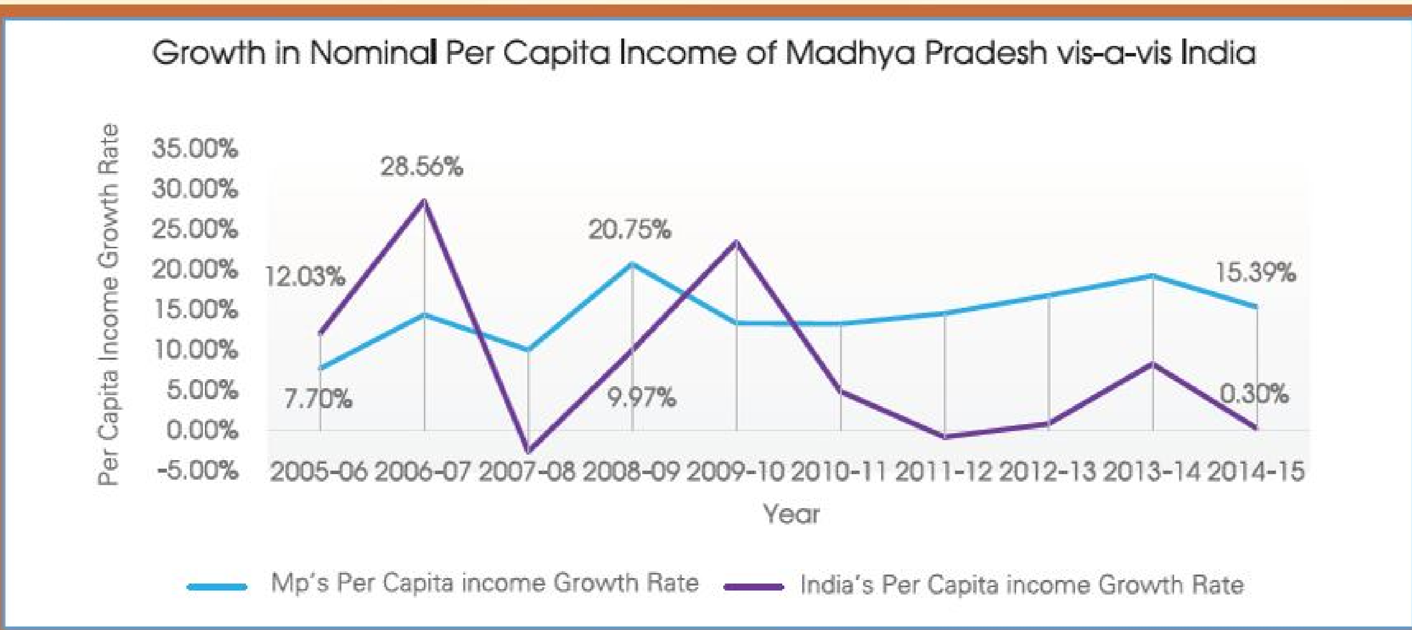

यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे ईधन, खनिज, कृषि और जैव विविधता में समृद्ध है। देश के कोयला भण्डार में मध्य प्रदेश का हिस्सा 8.30 प्रतिशत है। चूना पत्थर, मैंग्नीज और डोलोमाइट के प्रचुर भण्डार के अतिरिक्त भारत में हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भण्डार भी इसी राज्य में है।

मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के उद्योगों का गृह है, जो ऑटोमोबाइल से लेकर दवा तक एवं सॉफ्टवेयर से लेकर खुदरा व्यापार तक और वस्त्र उद्योग से लेकर रियल स्टेट तक फैला है। जहां रेडीमेड वस्त्र उद्योग और व्यापार राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सबसे पुरातन व्यवसाय है, वहीं विगत वर्षो में रियल स्टेट बहुत तेजी से उभरा है। राज्य में कई विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र हैं, जो मध्यप्रदेश के निर्यात एवं आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करते हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग के क्षेत्र में विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र इंदौर की उपस्थिति के कारण पीथमपुर को डेट्रॉइट ऑफ इण्डिया के रूप में भी जाना जाता है।

मुख्यत: आर्थिक मूल्य के खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योग और रेडीमेड वस्त्र उद्योग भी राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

मध्यप्रदेश रक्षा क्षेत्र के उत्पादन में भी अग्रणी राज्य है। राज्य में छ: आयुध कारखाने है, जिसमें से चार जबलपुर (व्हीकल फेक्टरी, ग्रे ऑयरन फाउंड्री, गन कैरेज फेक्टरी, ऑर्डिनेंस फेक्टरी खमरिया) में स्थित है और कटनी व इटारसी प्रत्येक में एक। यह कारखाने आयुध बोर्ड द्वारा चलाए जाते हैं, जो भारतीय सशस्त्र सेना के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार करते हैं।

मध्यप्रदेश के भौगोलिक रूप से भारत के मध्य में होने के कारण, इसका भारत के कई भागों से संयोजन सर्वश्रेष्ठ है और 100,000 किलो मीटर से अधिक सडकों का सुदृढ़ जाल इसे केन्द्रीयकृत विनिर्माण और वितरण हब के लिए आदर्श स्थल बनाता है।

मध्यप्रदेश के उद्योगों को निम्नानुसार तरीकें से विभाजित किया जा सकता है :-

खनिज संसाधन आधारित उद्योग	सीमेंट उद्योग, भारी विद्युत उपकरण, क्राकरी उद्योग, आदि
वन आधारित उद्योग	कागज उद्योग, फर्नीचर उद्योग, आदि
कृषि आधारित उद्योग	सूती कपड़ा, कृत्रिम कपड़े, चीनी मिल, वनस्पति
	तेल, सोयाबीन तेल उद्योग, आदि

राज्य भर में कई शहरों में औद्योगिक क्षेत्र स्थित हैं :

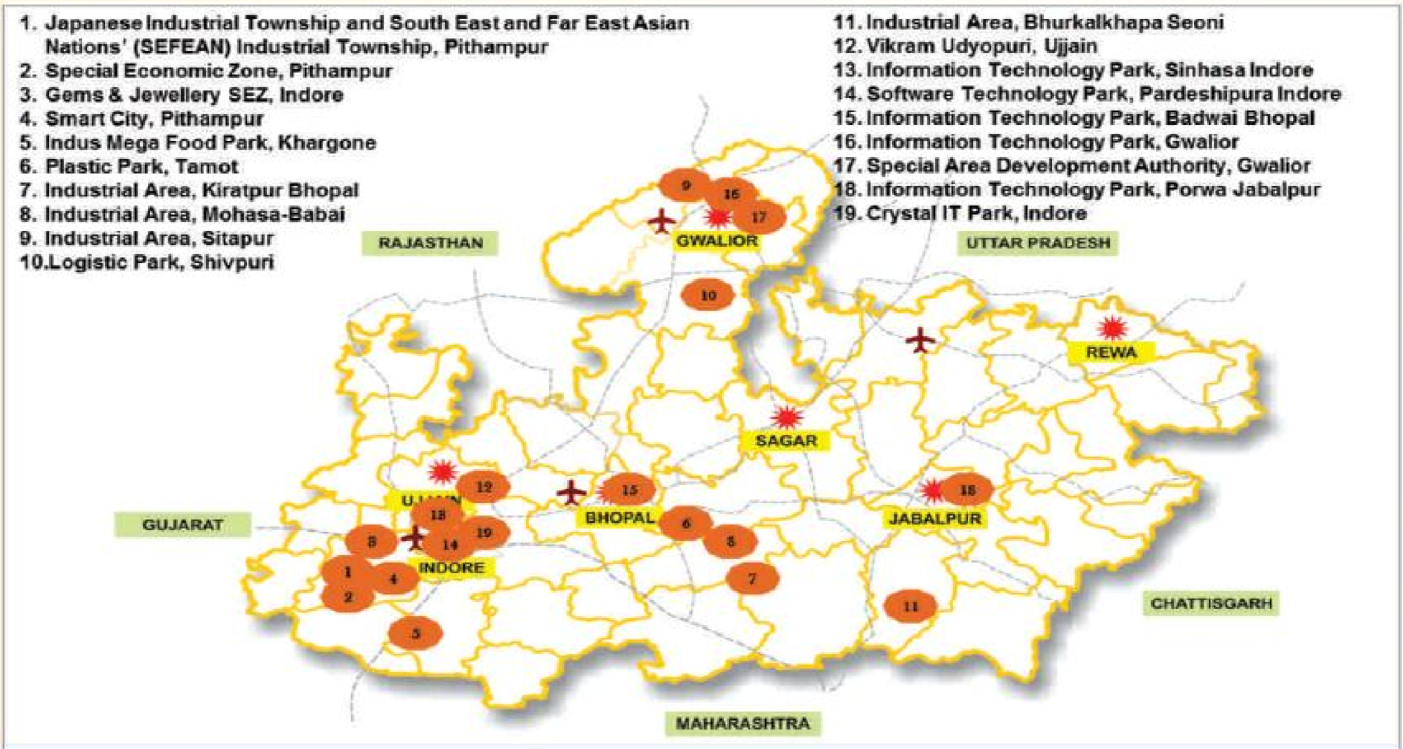

GoMP has industrial land bank of 25,000 Ha. including 9,000 Ha. of developed area

एक प्रतिस्पर्धी माहौल, उद्योगों और उनके सहायक उद्योगों का सृजन करने हेतु कच्चा माल, कुशल श्रमिक और बाजार क्षमता को ध्यान में रखते हुये, मध्यप्रदेश सरकार ने क्लस्टर पर आधारित आर्थिक विकास अपनाया है। कुछ सामरिक क्लस्टर कच्चा माल, कुशल श्रमिक और बाजार क्षमता को ध्यान में रखते हुये है। इस उद्देश्य के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा चिन्हांकित क्लस्टर हैं -

इंदौर	दवा, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटो-पुर्जे
भोपाल	इंजीनियरिंग, गढ़ाई, जैव प्रौद्योगिकी, हर्बल उत्पाद, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण
जबलपुर	गारमेंट, खनिज, वन और हर्बल आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण

ग्वालियर	इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, तेजी से खपने वाली उपभोक्ता वस्तुएं और जिंस, लाइट इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण
रीवा	रेफ्रेक्ट्रीज, लाइम स्टोन और वन आधारित उद्योगों
सागर	बड़े और छोटे खनिज प्रसंस्करण

मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य भर में अंत:सम्बद्ध कम्पनियों व संस्थाओं, जो उत्पादों के निर्माण या किसी विशेष क्षेत्र या उद्योग को सेवाएं प्रदान करती है, को देने के विश्व स्तरीय अधोसंरचना व सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य भर में औद्योगिक क्लस्टरों व गलियारों की स्थापना एवं संवर्धन किया है। क्लस्टर आधारित औद्योगिक विकास का दायित्व मध्यप्रदेश की औद्योगिक नीति अंतर्गत सहायता का एक हिस्सा है, जिसका क्रियान्वयन मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लि. (MPAKVN) द्वारा किया जाता है।

कुछ उल्लेखनीय औद्योगिक समूह/ पार्क हैं:

इंदौर-पीथमपुर	ऑटो क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर, कॉटन यार्न क्लस्टर, ऑटो टेस्टिंग ट्रेक, अपेरल पार्क, विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र (सेज)
शाहपुरा	जीवाश्म पार्क
पन्ना	हीरे की खानें

इसके अलावा राज्य ने निम्नलिखित औद्योगिक पार्कों में प्रारंभिक विकास कार्यों को पूर्ण करने की प्राथमिकता दी है :

इंदौर-पीथमपुर	अपेरल पार्क, रत्न और आभूषण पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और हर्बल पार्क
भोपाल	जीवन विज्ञान संस्थान
पन्ना	हीरे की खानें
जबलपुर-कटनी	अपेरल पार्क और स्टोन पार्क
रीवा-सतना	हर्बल पार्क
टीकमगढ़-सागर-छतरपुर	ग्रेनाइट पार्क

मध्य प्रदेश में दो अंको में आर्थिक विकास दर को प्राप्त करने के दृष्टिगत और राज्य को समृद्ध बनाने के लिए, राज्य मंत्रिमंडल ने नई औद्योगिक नीति (औद्योगिक संवर्धन नीति 2014 और कार्य योजना) को मंजूरी दी है। नई नीति में उद्योग मित्र प्रशासन बनाने, रोजगार के अवसरों को अधिकतम करने, औद्योगिक बीमारी से निपटने, वाणिज्यिक करों की दरों को तर्कसंगत बनाने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को सहारा देने की परिकल्पना की गई है। नीति का मुख्य जोर है:

• मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन (MPTRIFAC) की स्थापना;
• एकल खिड़की प्रणाली को निर्णायक व परिणाम उन्मुख बनाने की दृष्टिगत औद्योगिक फेसिलिटेशन अधिनियम बनाना और व्यापार नियमों में परिवर्तन करना;
• चिन्हांकित औद्योगिक क्लस्टरों को बढ़ाने के लिए अधोसंरचना का विकास करना;
• निवेशक को सहूलियतों में सुधार और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना;
• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग का गठन; और
• बीमार/बंद औद्योगिक इकाइयों को विशेष पैकेज देकर पुनर्जीवित करना.

राज्य के अन्य महत्वपूर्ण निवेश के अवसरों को चिन्हांकित किया है और उन्हें अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया है, जिनमें से कुछ नीचे प्रस्तुत हैं :

रेडीमेड वस्त्र	वृहद वस्त्र इकाइयों के लिए तैयार उपलब्ध अधोसंरचना के साथ इंदौर विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र
वस्त्र उद्योग विजन	भारत की स्पिंडल क्षमता के 7 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य; कपास जिनिंग और सूत कताई मिलों के लिए अवसर, विद्युत करघे और हाथ करघे, परिधान डिजाइन और खुदरा बिक्री, तकनीकी वस्त्र और रंगाई व रंग इकाइयां
टेक्सटाइल पार्क और निवेश गलियारें	डीएमआईसी क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क और विनिर्माण इकाइयों की स्थापना, निवेश गलियारें और इंदौर, रतलाम, देवास, धार एवं उज्जैन के पारंपरिक वस्त्र केन्द्र

मध्य प्रदेश में निवेश को बढावा देने हेतु विभिन्न अनुमतियों में शीघ्र अनुमोदन व सहमति के लिए एमपी ट्राईफेक्र, एकल खिड़की सुविधा केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में एमपी एकेव्हीएन को उद्योग सवंर्धन हेतु अपने अधिकार क्षेत्र के चयनित क्षेत्रों के औद्योगिक विकास केन्द्रों के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लघु उद्योगों की समग्र आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन अंतर्गत लघु उद्योगों को विपणन सहायता प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम (MPLUN) को संपूर्ण मध्यप्रदेश हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोर संस्था के रूप में चयनित किया गया है।

मध्यप्रदेश में उपलब्ध स: शक्त मानव क्षमता व अनुकूल परिस्थियां और अच्छे समग्र व्यापार प्रोत्साहन के कारण आज मध्यप्रदेश ने उद्योगों हेतु एक पसंदीदा राज्य के रूप में जगह बनायी है। विश्व बैंक एवं केपीएमजी द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार मध्यप्रदेश व्यापार करने के लिए और सुधारों को लागू करने में भारत के राज्यों में 5वीं पायदान पर है।

1.2 विकास अनिवार्यता

लघु उद्योग समस्त विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मुख्य रूप से आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और गरीबी कम करने हेतु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। शासन के पास व्यापार अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अति महत्वपूर्ण बात उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है।

किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का एक बड़ा भाग व्यापार हेतु वातावरण और उसके लघु एवं मध्यम उद्योगों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है।

पिछले दशक के बाद से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा एमएसएमई पर विशेष ध्यान देकर समावेशी विकास को पूर्ण सहारा दिया है।

मध्यप्रदेश में पंजीकृत एमएसएमई की संख्यां में वृद्धि इस बात को स्पष्ट करती है।

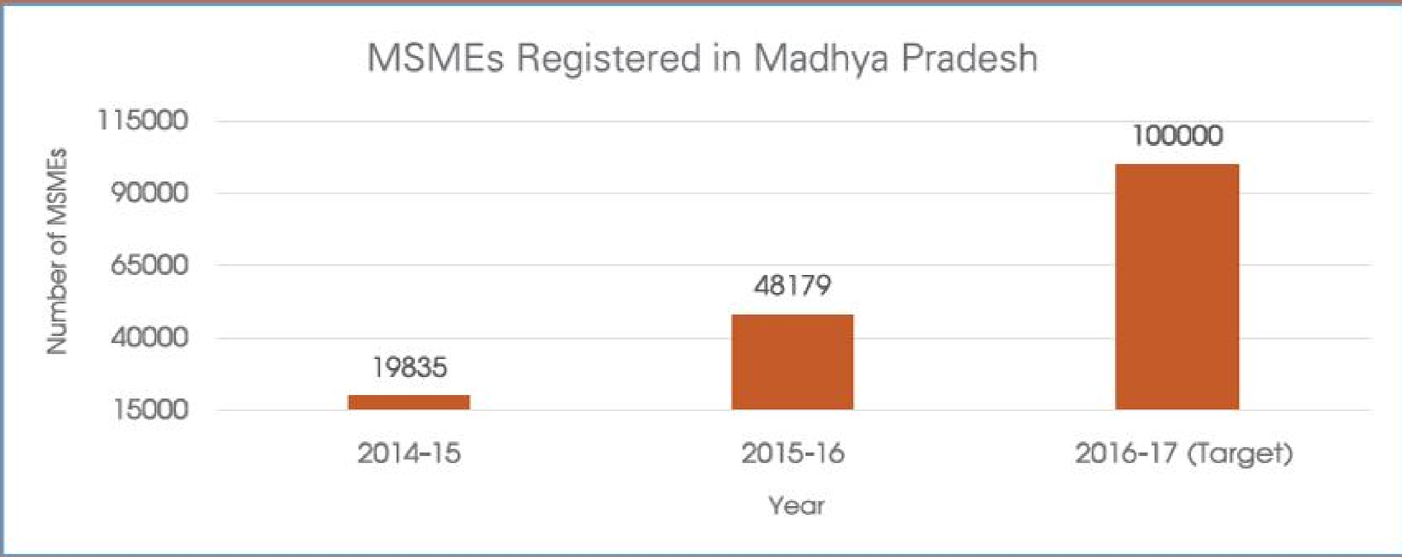

मध्य प्रदेश के एमएसएमई क्षेत्र ने प्रचुर निवेश को आकर्षित किया है, जो मध्यप्रदेश राज्य के प्रति निवेशकों के विश्वास को प्रस्तुत करता है।

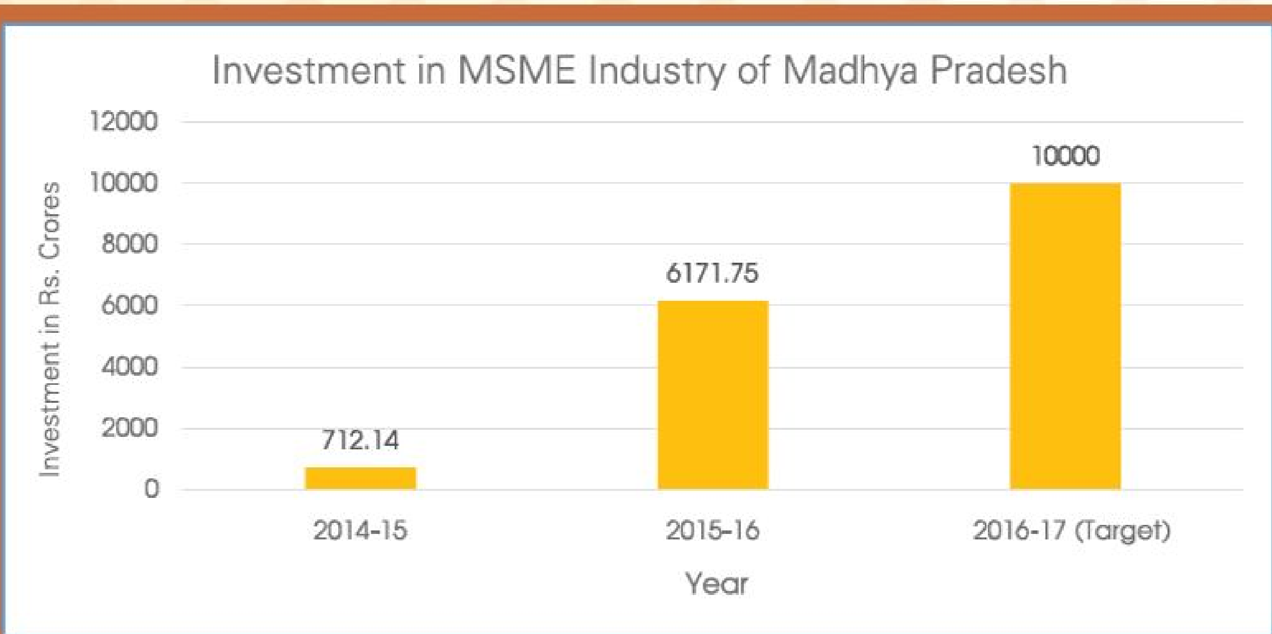

इसके अलावा, मध्य प्रदेश में एमएसएमई उद्योग की वृद्धि में आए भारी उछाल ने पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश के लिए उल्लेखनीय स्तर का रोजगार सृजित किया है।

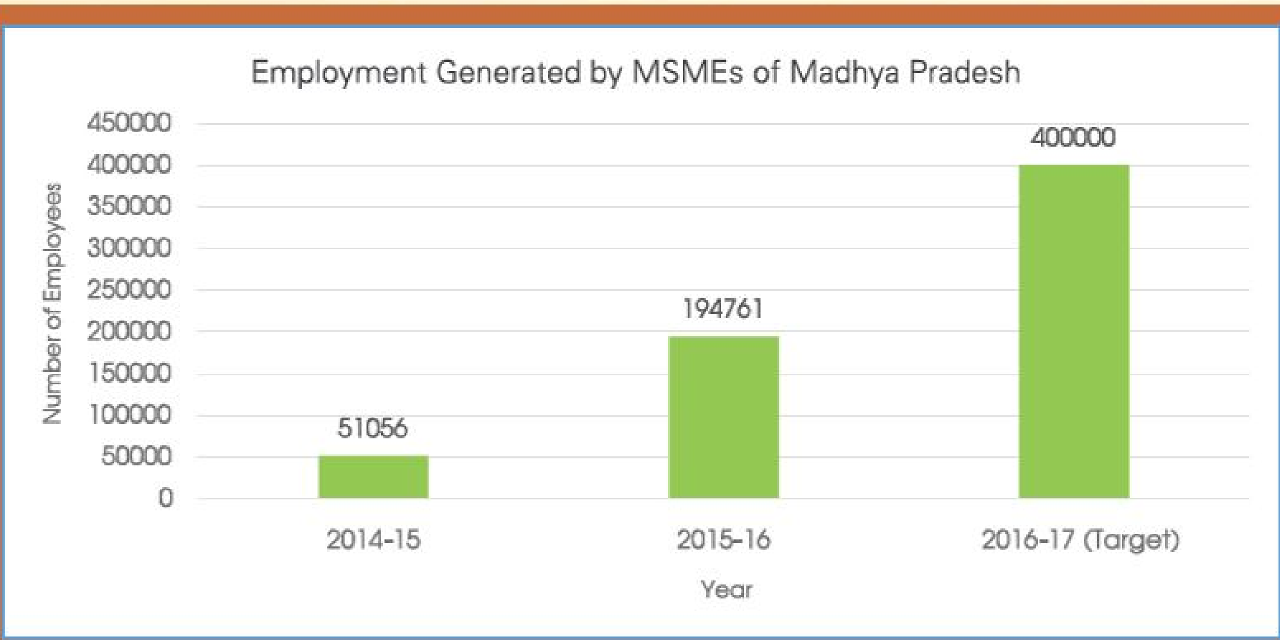

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदम संक्षिप्त में निम्नानुसार हैं:

- कौशल विकास कार्यक्रमों द्वारा एमएसएमई के लिए आवश्यक कुशल जनशक्ति की पूर्ति करना; क्लस्टरों का विकास;
- एमएसएमई की जरूरतों के अनुरूप अलग विभाग का गठन;
- मातृ इकाईयों के पास नई वेण्डर इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन;
- अपात्र उद्योगों की संख्या 52 से घटाकर 19 की गई है;
- मार्केटिंग सहायता ;
- उप करार के संवर्धन से स्थानीय विक्रेताओं का विकास; तथा
- एमएसएमई को वित्तीय सहायता।

एमएसएमई को विशेष प्रोत्साहन देने के अलावा राज्य सरकार उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भी इच्छुक है। मध्यप्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने और प्रथम पीढ़ी के उद्यमिओं के समर्थन हेतु शासन ने विविध योजनाएं एवं कार्यक्रम प्रारंभ किए है।

राज्य सरकार 'मेड इन इण्डिया' की तर्ज पर 'मेक इन एमपी' की अवधारणा को साकार करने के लिए निवेशकों, नवाचारियों, उद्यमिओं और तकनीकज्ञ के साथ मिलकर मध्यप्रदेश को एक विनिर्माण हब बनाने के लिए प्रयासरत है।

हाल ही में एमएसएमई की स्थापना एवं उसके व्यापार को सहायता और उसे आवश्यक समर्थन हेतु मध्यप्रदेश शासन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग का गठन किया है। मध्यप्रदेश शासन का इस क्षेत्र में अधिक नियंत्रण करने का इरादा नहीं है और यही कारण है कि इस विभाग के तहत किसी भी नियमन इकाई की स्थापना नहीं की गई है, बल्कि श्रम और अन्य सुधारों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

उदाहरण के लिये एमएसएमई विभाग के गठन के पूर्व एक एमएसमएई को 66 रजिस्टर संधारित करने होते थे। अब इन सभी को एक रजिस्टर में समाहित कर दिया गया है।

पूर्व में 17 विभिन्न अधिनियमों के कार्यक्षेत्र अंतर्गत एमएसएमई आती थी और उसे विभिन्न प्रकार के 17 रिटर्न जमा करने होते थे। अब ऐसे रिटर्न दाखिल करने में अधिकाशत: को छूट दी गई है। विभाग व्यापार करने में आसानी अंतर्गत राज्य की रैंकिग बढाने के लिए विभिन्न आयामों पर अधिकतम योगदान दे रही है।

मध्यप्रदेश सरकार विनिर्माण हेतु श्रम अंतर्गत देश में प्रतिस्पर्धा की अनुकूल परिस्थिति का लाभ लेने का इरादा रखती है एवं उसे मान्यता देती है और साथ ही साथ विभाग सामान को सस्ता करने हेतु कुल लागत कम करने के लिए और विश्व बाजार में मध्यप्रदेश की प्रतिस्पर्धा में सुधार करने के लिये ध्यान केन्द्रित करेगा।

2. मध्यप्रदेश के एमएसएमई पारिस्थिति की तंत्र में आदर्श बदलाव

मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था के पास गतिशील एवं बहुमुखी उद्यमिओं के दल का एक बड़ा हिस्सा है, जो संचालन के स्तर के पैमाने पर लघु एवं मध्यम है, परंतु विविध प्रकार से अर्थव्यवस्था में भारी योगदान देता है। एमएसएमई क्षेत्र उपलब्ध प्रभावी लागत, कम मात्रा में अनुकूलित उत्पाद और कार्य में लचीनापन के कारण विशेष आवश्यकताओं के अनुसार पूर्ति करने की क्षमता रखता है।

मध्यप्रदेश के आर्थिक विकास के लिए एमएसएमई का महत्व अच्छी तरह से स्थापित है। परन्तु ध्यान का केन्द्र आर्थिक विकास से समावेशी विकास की ओर बदलने से, राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका को समझने, अन्वेषण करना और उसे सुविधाएं सुगम बनाना आज की आवश्यकता है।

मध्यप्रदेश के एमएसएमई 'मेक इन इण्डिया' योजना को सफल बनाने का एक मंच बन सकता है। यह ऐसी नर्सरी होगी जहां छोटे मौजुदा कारोबारी के भविष्य में बड़ा व्यापारी बन सकने की संभावना हो। एमएसएमई कार्यक्षेत्र की बड़े कारोबारी भी प्रौद्योगिकी एवं पूंजी के साथ भागीदारों को आकर्षित कर वैश्विक कारोबारी बनने की अद्वितीय स्थिति में है।

उपरोक्त तथ्यों का ध्यान में रखकर मध्यप्रदेश सरकार का एमएसएमई विभाग मानव पूंजी का विकास, अधोसंरचना को सक्षम करना, वित्त की उपलब्धता और क्रियान्वयन व शासन रूपरेखा जैसे क्षेत्रों को केन्द्रित कर अपना दृष्टिपत्र गर्व के साथ प्रस्तुत करता है।

2.1 मानव पूँजी का विकास

2.1.1 उद्यमिता विकास

एक सफल एमएसएमई बनाने की नींव एक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी उद्यमी है। उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और म. प्र. शासन, एमएसएमई विभाग द्वारा निम्न की परिकल्पना की गई है:

- उद्यमिता विकास की पहल का दायित्व
- विभिन्न शासकीय विभागों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन
- स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और मौजुदा व संभावित उद्यमिओं के लिये प्रासंगिक कौशल उन्नयन
- सभी वर्गो के बेरोजगार युवाओं और नए स्नातकों के लिए सभी प्रमुख शहरों में कौशल और रोजगार मेलों का आयोजन
- भूमिहीन और वंचित समूहों को सूक्ष्म उद्यमों में परिवर्तित करने के लिए स्व-सहायता समूह नेटवर्क को मजबूती देना व विस्तार करना और उनकी गतिविधियों को टिकाऊ बनाना
- कौशल विकास और रोजगार सृजन, विशेष रूप से महिलाओं एवं विशेष वर्ग हेतु, के लिए पहल करने वाली एमएसएमई को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, अप्रत्यक्ष करों में भारित कटौती तथा राहत और हितधारकों के लिए कम लागत पर पूंजी व ऋण की उपलब्धता पुरूस्कृत करना
- बुनियादी आईटी कौशल, व्यापार पाठ्यक्रम, ग्राहक से वा पाठ्यक्रम, डेस्कटॉप प्रकाशन पाठ्यक्रम, कंप्यूटर नेटवर्किंग पाठ्यक्रम और वेब डिजाइनिंग पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) / उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम (ESDP) के साथ कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन
- प्रशिक्षुओं और उद्योग को प्रशिक्षण का लाभ देने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों का डेटाबेस निर्मित करना और उसे रोजगार एक्सचेंज से जोड़ना, उद्योगों को प्रशिक्षित जनशक्ति के डेटाबेस का उपयोग करने हेतु अधिकार देना

2.1.2 रोजगार

मध्यप्रदेश शासन, एमएसएमई विभाग निम्न के द्वारा गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं को निराकृत करने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाना चाहता है:

- ग्रामीण युवाओं (उद्यमियों), अनुसूचित जाति/जनजाति और महिला उद्यमियों को स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से नकद सहायता।
- स्वरोजगार योजना के अवसर पैदा कर योजनाओं को सूक्ष्म वित्त पोषण से जोड़ना।
- उद्योगों और नौकरी चाहने वालों के लिए एक ऑनलाइन रोजगार कार्यालय का निर्माण

2.1.3 व्यवसायिक प्रशिक्षण

अतिशेष श्रमिक और कुशल श्रमिक की मांग के अंतर को कम करने, जो बदले में एमएसएमई के लिए तैयार रोजगार योग्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगा और उद्यमशीलता को बढ़ावा भी देगा हेतु मध्यप्रदेश शासन, एमएसएमई विभाग का प्रयास निम्न है :

- व्यावसायिक एवं उच्च शिक्षा के छात्रों के दाखिलों के अनुपात को बढ़ाना, ताकि एमएसएमई को पर्याप्त कुशल व्यक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
- मौजुदा कार्यबल, जो कृषि क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में पलायन करता है या शहरी क्षेत्र के बेरोजगार/अल्प रोजगार को पुर्नप्रशिक्षित करने हेतु वृहद स्तर पर कौशल विकास
- नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) की स्थापना एवं मौजूदा के उन्नयन हेतु पहल
- प्रशिक्षुओं के तत्काल प्लेसमेंट के लिए उद्योग के साथ नजदीकी नेटवर्किंग
- प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण आदि के मानकीकरण के लिए उत्कृष्टता केंद्र

2.1.4 ग्रामीण सशक्तिकरण

एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण सशक्तिकरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एमएसएमई को प्रचुर मात्रा में मानव शक्ति प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। उपलब्ध मानव संसाधन तथा अर्धकुशल श्रमशक्ति की आवश्यक्ता के अंतर को कम करने हेतु मध्यप्रदेश शासन, एमएसएमई विभाग अपने विविध ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों की जनसंख्या का उपयोग कर निम्नानुसार प्रयास करेगा:

- ❖ मजबूत तथा बुनियादी जानकारियों का एकीकृत पैकेज जैसे सूचना, प्रेरणा, प्रशिक्षण और क्रेडिट उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम का आरंभ, जो उपयुक्त प्रौद्योगिकी और बाजार लिंकेज द्वारा समर्थित हों
- ❖ ग्रामीण एवं आदिवासी जनसंख्या को प्रशिक्षित करने हेतु एनजीओ, विकास पेशेवरों एवं तकनीकी परामर्श संस्थाओं जैसी क्रियान्वयन एजेन्सिओं के साथ साझेदारी.
- ❖ हर गांव के लिए उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराकर शहरी-ग्रामीण डिजिटल अंतर को कम करना।
- ❖ ग्रामीण/क्लस्टर स्तर पर प्राथमिक प्रसंस्करण हेतु जमीनी और सस्ती प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराकर गुणवत्ता में सुधार व स्थापना लागत कम करना सुनिश्चित करना
- ❖ कृषि क्षेत्र से अनुत्पादक श्रम बल को हटाकर उन्हें उत्पादक उद्यमों से जोड़ना, जिससे ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हो और साथ ही कृषि क्षेत्र से प्रच्छन्न बेरोजगारी कम हो।

2.2 अधोसंरचना को सक्षम करना

2.2.1 औदयोगिक अधोसंरचना विकास

मध्यप्रदेश शासन, एमएसएमई विभाग दवारा एमएसएमई के लिए राज्य में उन्नत बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और विकसित करने की निम्नानुसार परिकल्पना है :

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी मॉडल) के माध्यम से गुणवत्तायुक्त अधोसंरचना विकास उपलब्ध कराना
- समावेशी औपचारिकताओं हेतु ऑनलाइन पोर्टल, नियामक फाइलिंग, पोर्टल दवारा विभिन्न सरकारी विभागों के बीच सहयोग, ज्ञान के प्रसार, एमएसएमई के लिए बाजार को बढ़ावा देने, वैश्विक निवेशकों और अपनी नीतियों को लागू करने में विभाग की सहायता विशेषज्ञों के नेटवर्क के साथ सक्रिय कर मध्य प्रदेश के एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र में सूचना और सं चार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अधोसंरचना का विकास करना, जिससे देश की सूचना प्रौद्योगिकी के उत्थान में सहयोग हो
- ग ुणवत्ता नियंत्रण / कुल गुणवत्ता प्रबंधन (टीक्यूएम) तकनीकों हेतु सामान्य कौशल में सुधार और प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, बेंच मार्किंग के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर को प्राप्त करने हेतु फर्मों की हेण्डहोल्डिंग
- अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) के बुनियादी ढांचे में सुधार
- एमएसएमई को एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी), आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और ग्राहक संबंध प्रबंधन उपकरण के लिए सुलभ पहुँच प्रदान करना
- महत्वपूर्ण पूंजी निवेश करने से उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन
- स ूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) पर जोर
- एमएसएमई को बार-कोड का उपयोग करने के लिए फीस की प्रतिपूर्ति के माध्यम से प्रोत्साहन
- बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के बारे में जागरूकता पैदा करना
- मध्य प्रदेश भ ूमि प्रबंधन नियमों के तहत, एमएसएमई को 5000 वर्ग फीट के भूखंडों के आवंटन के लिए निर्धारित दरों में 90% रियायत दिया जाना।
- राज्य में सभी औद्योगिक क्षेत्रों में, 20% भूमि एमएसएमई के लिए आरक्षित करना
- राज्य में भूमि की डिजिटल मैपिंग के माध्यम से एक क्लिक पर भूमि बैंक की उपलब्धता के दृष्टिकोण से एक भूमि बैंक बनाना
- सं भावित निवेशकों को भूमि से संबंधित जानकारी का पता लगाना में मदद करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण
- एमएसएमई के लिए भूमि के लिए समयबद्ध आवंटन/डायवर्सन
- निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन
- कम दरों पर बिजली कनेक्शन की उपलब्धता

2.2.2 एमएसएमई समूह (क्लस्टर)/हब विकास

मध्यप्रदेश शासन, एमएसएमई विभाग क्लस्टर/हब बनाने पर ज्यादा जोर देता है, जो किसी अर्थव्यवस्था हेतु तीन महत्वपूर्ण गतिविधियों को प्रेरित करते है यानि, उत्पादकता वृद्धि (विशेष आदानों, सूचना की उपलब्धता, सहक्रियाओं और सार्वजनिक सामान तक पहुंच), अधिक तेजी से नवाचार (सहकारी अनुशंसा और प्रतिस्पर्धी प्रयास के माध्यम से) एवं नए कारोबार के गठन (क्लस्टर की कमिओं को दूर कर उसकी सीमाओं का विस्तार) पर कार्य किया सके। इसे ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश शासन, एमएसएमई विभाग निम्न परिकल्पना करता है :

- उत्पादन की समानता, गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण, ऊर्जा की खपत, प्रदूषण नियंत्रण, प्रौद्योगिकी एवं मानक स्तर, विभिन्न चुनौतियों और अवसरों आदि के आधार पर एमएसएमई के 10 एकीकृत क्षेत्र विशेष सूक्ष्म समूह बनाएं जाएंगे.
- तकनीकी में सुधार, कौशल और गुणवत्ता, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, प्रवाह उपचार संयंत्र, बाजार पहुंच, पूंजी की उपलब्धता, आदि साधारण मामलों को ध्यान में रखकर लघु उद्योगों के विकास एवं स्थिरता प्रदान करना
- एमएसएमई के लिए विशेष रूप से 15 औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करना
- सभी समूहों के लिए 24 X 7 बिजली उपलब्ध कराना
- स्व-सहायता समूहों के गठन, भागीदारी, संघों के उन्नयन, आदि के माध्यम से एमएसएमई की क्षमता का निर्माण
- कॉमन सुविधा केन्द्रों (परीक्षण, प्रशिक्षण केंद्र, कच्चा माल डिपो, प्रवाह उपचार, उत्पादन प्रक्रियाओं के पूरक, आदि) की स्थापना
- सं साधनों की तैनाती के मामले में बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को सुविधा

2.3 नवाचार और प्रोत्साहन

2.3.1 नवाचार पूँजी एवं ज्ञान

नवाचार विकास के सभी चरणों में महत्वपूर्ण है; विशेष रूप से रचना और प्रौद्योगिकियों का प्रसार आर्थिक वृद्धि और सभी अर्थव्यवस्थाओं में कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं। मध्य प्रदेश का सपना है कि वह नवाचार में भारत का हृदय हो और इस हेतु प्रयास निम्न है:

- राज्य में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु मध्यप्रदेश इंक्यूबेशन एण्ड स्टार्टअप पॉलिसी 2016 को जारी व अधिनियमित कर ढाचे की स्थापना।
- राज्य में इंक्यूबेशन केन्द्रों को बढ़ावा।
- सफल प्रमुख उद्यमियों, व्यापार जगत की हस्तियों और राज्य एवं भारत भर की एंकर यूनिट्स के साथ कार्य शालाओं का आयोजन और विचार विमर्श।
- व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों/सेक्टर में सर्वोत्तम लघु स्तर के विचार पर राज्य भर में पहचान के साथ वार्षिक मौद्रिक पुरूस्कार।
- विचारकों और निवेशकों के बीच बैठकों हेतु सह-कार्य स्थान का चयन।
- बडी औद्योगिक इकाईयों और 500 एमएसएमई इकाईयों के बीच विक्रेता सहायता हेतु लिंकेज सहायता
- नवाचार, हेकाथान, पिच, नवीनता चुनौतियों, विचार प्रतियोगिताओं और मंथन आदि के रूप में विभिन्न सहयोगी कार्यक्रमों के प्रयोजन को बढावा।

2.3.2 'प्लग एण्ड प्ले' मॉडल का अंगीकरण

'प्लग एंड प्ले' मॉडल के माध्यम से एमएसएमई और उद्यमी नवाचार और औद्योगीकरण की व्यावहारिक दुनिया में स्थापित होते है, इससे पहले कि वे व्यावहारिक दुनिया में वास्तव में कार्य कर सकें। इस हेतु म. प्र. शासन, एमएसएमई विभाग निम्न कदम उठाएगा :

- संरचित कार्यशालाओं, वक्ता श्रृंखला, सलाहकार सत्र के साथ-साथ सक्रिय कोचिंग के संयोजन से एमएसएमई के संस्थापकों का समर्थन, जिससे उनके विचारों और व्यापार की योजना, उनकी एमएसएमई के व्यापार मॉडल और प्रोटोटाइप के साथ-साथ वेन्चर पूंजी समूह को उनकी परिष्कृत पिच को प्रस्तुत करना।
- चयनित एमएसएमई अपने को ओर अधिक सक्षम करने हेतु वित्तीय प्रोत्साहनों को प्राप्त करने हेतु पात्र होगी
- चयनित औद्योगिक क्षेत्रों में दो एकीकृत प्लग और प्ले सुविधाओं का विकास

2.3.3 तकनीकी उन्नयन

किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धा, कैसे कुशलतापूर्वक उत्पादन की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है और कैसे कुशलतापूर्वक इनका विपणन होता है, पर निर्भर करती है, इसलिए उत्पादन की पूरी श्रृंखला दक्ष होनी चाहिये। ऐसा नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। म.प्र. शासन, एमएसएमई विभाग एमएसएमई को प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए निम्न सहायता प्रदान कर सकता है:

❖ डिजाइन और उपकरणों के निर्माण के लिए टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और एमएसएमई क्षेत्र में उद्योगों के लाभ के लिए भी उपकरण निर्माताओं के कौशल में सुधार हेतु प्रशिक्षण

❖ राज्य में उद्योगों के उपकरण से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए परामर्श, सूचना सेवा, प्रलेखन आदि प्रदान करने के लिए उत्कृष्टता के एक केंद्र का निर्माण

❖ गुणवत्ता हेतु उत्कृष्टता की खोज में एमएसएमई को तकनीकी व गुणवत्ता उन्नयन सहायता, जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र हेतु प्राप्त करने हेतु सहायता/ प्रतिपूर्ति (जैसे आईएसओ 9000 / आईएसओ 14001 के रूप में)

❖ बड़े कारोबारियों के निवेश और आउटपुट और उनके एमएसएमई विक्रेताओं को आकर्षित करना / या विशेष रूप से अनुसंधान और विकास, नवाचार और वैश्विक प्रौद्योगिकियों के लिए अनुकूल आयात प्रतिस्थापन

2.3.4 बाजार की उपलब्धता

राज्य के भीतर और बाहर बड़े उद्यमों से प्रतिस्पर्धा हेतु एमएसएमई को उभरते विपणन की जरूरत के लिए तुरंत प्रतिक्रिया करने की जरूरत है। बाजार में उन्हें बनाए रखने और आगे उत्पादन, रोजगार सृजन और निर्यात मे अपने योगदान को बढ़ाने आदि में सहायता करने हेतु बेहतर बाजार पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये म. प्र. शासन, एमएसएमई विभाग उपाय करेगा, जैसे :

❖ उपभोक्ता व व्यवसाय तथा व्यापार व व्यवसाय के मध्य बातचीत हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिये राज्य और जिला स्तर पर आभासी और भौतकीय प्रदर्शनी केंद्र का आयोजन।

❖ मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए उत्पादों को बेचने में एमएसएमई की सहायता करना

❖ एमएसएमई संघों के माध्यम से ब्रांडिंग और संवर्धन समर्थन

❖ प्रदेश की एमएसएमई के लिए विपणन सहायता कार्यक्रम शुरू करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के साथ समन्वय

❖ प्रदेश की एमएसएमई इकाईयों को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग

2.4 वित्त की उपलब्धता

2.4.1 राज्य की सुविधाएं

उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर एमएसएमई के लिए ऋण के प्रवाह में सुधार और पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने के लिए म. प्र. शासन, एमएसएमई विभाग निम्नानुसार सुविधायें उपलब्ध कराकर एमएसएमई क्षेत्र की सहायता करेगा :

- ❖ कम लागत धन और एमएसएमई के स्टेकहोल्डरों हेतु ऋण की उपलब्धता के संयोजन के साथ वाणिज्यिक कर रियायतें।
- ❖ पात्र एमएसएमई को 15 प्रतिशत पूंजी अनुदान और 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करना।
- ❖ पुर्नवास के लिये राज्य की बीमार औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय सहायता।
- ❖ बड़े और मध्यम इकाईयों द्वारा सहायक इकाईयों को बढ़ावा देने के लिये आकर्षक योजनायें
- ❖ विपणन से संबधित गतिविधियों, बिल डिसकाउंटिंग' कच्चे माल खरीद और निर्यात के लिये छोटे उद्यमियों हेतु वित्तीय केन्द्रों का विकास।
- ❖ अनुमोदित उपक्षेत्रों/उत्पादों हेतु सुस्थापित व उन्नत प्रौद्योगिकी उन्नयन लाने के लिये उन्हें वित्तीय व्यवस्था हेतु पूंजी अनुदान प्रदान कर तकनीकी उन्नयन सहायता।
- ❖ मध्यावर्ती लेनदेन समाप्त करने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा।
- ❖ स्टार्टअप के पालन व बढ़ावा देने हेतु मध्यप्रदेश वेंचर केपिटल फण्ड की व्यवस्था।

2.4.2 स्वरोजगार योजनाएं

नवोदित एमएसएमई को कर्ज या इक्विटी के जरिए राशि जुटाने की सीमा को समझते हुए म. प्र. शासन, एमएसएमई विभाग भारत सरकार की योजनाओं यथा स्टैंडअप भारत योजना, मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, के अनुरूप काम कर वित्तीय सहायता योजनाओं को बढ़ावा देगा, जिससे राज्य में वित्त की सुगम उपलब्धता हो और स्वरोजगार का संवर्धन हो:

- ❖ सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना और विकास के लिये बिना बैंक गारंटी के ऋण उपलब्ध कराने हेतु योजनाओं का संवर्धन
- ❖ मध्य प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी और प्रशिक्षण
- ❖ जमानत की सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं या नाममात्र

2.4.3 एसएमई का समर्थन करने के लिए वित्तीय संस्थाओं को मार्गदर्शन

इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश शासन एमएसएमई विभाग सार्वजनिक और निजी वित्तीय संस्थाओं के साथ एमएसएमई को ऋण की उपलब्धता हेतु सहायता पहुंचाने के लिये काम करेगा, जिसमें शामिल होगें

- ❖ एमएसएमई को संयोजित व एकीकृत पैकेज अंतर्गत सूचना, प्रेरणा, प्रशिक्षण और ऋण उपयुक्त तकनीक तथा विपणन लिंकेज की सुविधा के साथ उपलब्ध कराने की दृष्टि से विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के साथ कार्य एवं सहयोग।
- ❖ एमएसएमई क्षेत्र में निवेश की गति में तेजी लाने के लिये इक्यूविटी सहायता उद्यम पूॅंजी योजना आदि की व्यवस्था करना।
- ❖ एमएसएमई क्षेत्र में संरचनात्मक कमियों से निपटने के लिए बैंक ऋण सुविधाओं को बढ़ावा।
- ❖ निजी इक्यूविटी फंडिंग को आकर्षित करना और क्लस्टर फायनेंसिग को बढ़ावा देना।

2.4.4 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के साथ संरेखण

जीएसटी भारत का सबसे बड़ा कर सुधार है, जिससे कराधान की वर्तमान प्रणाली सरल होगी। मध्यप्रदेश शासन, एमएसएमई विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि जीएसटी के लागू होने से राज्य के एमएसएमई के विकास पर कोई असर न पड़े। इसके बजाय राज्य निम्नानुसार एमएसएमई को सहायता प्रदान कर जीएसटी व्यवस्था की तरफ निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करेगा

- ❖ अप्रत्यक्ष कराधान की जीएसटी व्यवस्था में एमएसएमई को स्थानांतरित करने के लिये सहायता प्रदान करने हेतु एक रोडमेप का निर्माण।
- ❖ जीएसटी के बारे में विशेष प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का आयोजन।
- ❖ जीएसटी क्रियान्वयन की पेचीदगियां को समझने के लिये एमएसएमई की सहायता हेतु वरिष्ठ विशेषज्ञों (वृहद इकाईयों व पेशेवर संस्थाओं से) के साथ प्रबंधन विकास सत्र
- ❖ एमएसएमई को मदद करने के लिये जीएसटी के प्रभाव का विश्लेषण निजी और सार्वजनिक संस्थाओं से करवाया जावेगा।
- ❖ मध्यप्रदेश को जीएसटी का समर्थन करने वाले और इसके क्रियान्वयन के लिए तैयार राज्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा

2.5 क्रियान्वयन और शासन रूपरेखा

2.5.1 अनुकूल नीतिगत माहौल

ध्यान से कानून और नियमों का खाका और एमएसएमई के लिये एक बाधा मुक्त और उत्साह जनक विनियामक वातावरण प्रदान करने हेतु म.प्र. शासन, एमएसएमई विभाग निम्न कार्य करेगा

- ❖ जिला व्यापार उद्योग केन्द्र/औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों के अंदर एमएसएमई व्यापार सुविधा केन्द्र के मॉडल बनाकर जिला व्यापार उद्योग केन्द्र को सुदृण करना।
- ❖ एमएसएमई संघों का सशक्तीकरण।
- ❖ 'लायसेंस राज' और लायसेंस जारीकर्ता अधिकृत कर्मचारी का एमएसएमई में अघोषित निरीक्षण बंद करना।
- ❖ एमएसएमई के मूल्यांकन हेतु एजेन्सी उपलब्ध कराने हेतु सहायता।
- ❖ एमएसएमई स्थापना हेतु कम से कम नौकरशाही हस्ताक्षेप।
- ❖ सफल एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन और अन्य एमएसएमई को अच्छे प्रदर्शन हेतु प्रेरित करना।

2.5.2 एकल खिडकी प्रणाली -ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से एमएसएमई का सुदृढीकरण

लंबी अवधि की उद्योगों की मांग के साथ और एमसएसएमई क्षेत्र में निवेश के लिए मध्य प्रदेश शासन, एमएसएमई विभाग ने प्रमुखता से परियोजना क्रियान्वयन समय व लागत और प्लग एण्ड प्ले मॉडल को क्रियान्वित करने में समय में कटौती की है, जो भारत सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सुदृढीकरण है :

- ❖ यह सुनिश्चित किया जावेगा कि सभी नियामक मंजूरी एक जगह प्राप्त हो, ताकि एमएसएमई सिर्फ व्यापार शुरू कर उत्पादन करें ।
- ❖ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रक्रियाओ नियमों और विनियमों को व्यवस्थित किया जावेगा।
- ❖ एक संपर्क पर एमएसएमई की समस्त शासकीय औपचारिकताएं उपलब्ध कराई जावेगी।
- ❖ दस्तावेज लागत को कम किया जाएगा।
- ❖ दस्तावेजों पूर्ति में लगने वाले समय को कम करना।
- ❖ सुव्यवस्थित प्रक्रिया के साथ अधिकारियों की क्षमता बढाना।
- ❖ संचालन क्षमता और पारदर्शिता के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना।

2.5.3 एमएसएमई बिजनिस फेसिलिटेशन संटर (एमबीएफसी) की स्थापना- प्रभावी क्रियान्वयन की ओर एक कदम

नीतिगत पहल और राज्य की योजनाओं के लिए एक सार्थक और जबरदस्त प्रभाव देने के लिए म.प्र. शासन, एमएसएमई विभाग एक सुविधा एजेंसी की स्थापना करेगा, जो यह सुनिश्चित करेगी कि सरकार की पहल को क्रियान्वित किया जा रहा हैऔर एमएसएमई से प्रतिक्रिया आमंत्रित करनेव सरकार की पहल के बारे में जागरूकता का प्रसार करने हेतु शासन एवं एमएसएमई के मध्य सीधी कड़ी के रूप में कार्य करेगी। एमएसएमई बिजनिस फेसिलिटेशन सेण्टर का मुख्य कार्य निम्न रहेगा :

- राज्य की एमएसएमई को निवेशक हेण्डहोल्डिंग, निवेश और विस्तार से संबंधित जानकारी,आदि उपलब्ध कराना
- शुरू में एमबीएफसी का गठन पायलट आधार पर होगा, जो हब और स्पोक मॉडल पर आधारित होगा।
- एमएसएमई क्षेत्र के समग्र विकास अंतर्गत कौशल विकास,तकनीकी इंक्यूबेशन,ऋणकी उपलब्धता,योजनाओं के प्रति जागरूकता और शासकीय प्रोत्साहन की जानकारी शामिल है
- निवेश संवर्धन, व्यापार करने हेतु सहायता, सेक्टर का विकास, नीति सहायता और छोटे उद्यमों हेतु व्यापार संभावनाओं में वृद्धि द्वारा एमबीएफसी एमएसएमई क्षेत्र में निवेशकों के लिए विकास के इंजन के रूप में सेवा प्रदान करने को लक्षित करेगा
- राज्य में एमएसएमई नीति को लागू करने के लिए जिला व्यापार उद्योग केन्द्रों के महाप्रबंधकोंहेतु प्रशिक्षण एवं सत्र आयोजित किये जायेगें

2.5.4 शासन एवं शिक्षण

म. प्र. शासन, एमएसएमई विभाग इस बात को महत्व देता है कि यह मध्यप्रदेश के एमएसएमई समुदायकी ओर से काम कर रहा है और यह खुलने तथा ऐसी नैतिक प्रक्रियाए, जो कानून का पालन करने एवं हर समय पर जांच के लिए तैयार है, के लिए प्रस्तुत है। इसलिए म. प्र. शासन, एमएसएमई विभाग निम्न कार्य करेगा:

- म. प्र. शासन तथा एमएसएमई के मध्य सरकारी सेवाओं को प्रदान करने, सूचना का आदानप्रदान, संचार, लेन-देन, विविध स्वतंत्र व्यवस्थाओं व सेवाओं हेतु एक विधा के रूप में ई-गवर्नेस का उपयोग
- वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट का प्रकाशन एवं मध्यप्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र के प्रदर्शन का सर्वे
- एमएसएमई के बीच सहकर्मी समूह शिक्षा को बढावा देना और सफल घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई की सर्वोत्तम प्रथाओं को समझने लिये उन्हें आमंत्रित करना
- एमएसएमई के लिये श्रम कानूनों के अनुपालन हेतु सिंगल एन्युअल रिटर्न
- संस्थागत पहल को बढावा देना व प्रायोजित करना, एमएसएमई के लिए प्रतिस्पर्धी सम्मेलनों का आयोजन तथा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली एमएसएमई का सम्मान

3. हमारे प्रयास

मध्यप्रदेश शासन,एमएसएमई विभाग इस तथ्य को जानता है कि एमएसएमई अन्य उद्योग क्षेत्रों से पृथक नहीं है और सम्पूर्ण कारोबार परिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए हाल ही में अपनाए सुधार के उपायोंसे एमएसएमई उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा और इस आशाजनक उद्योग के लिए आगे संभावनाए है, यह जरूरी है कि एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया जावे,ताकि शीर्ष उद्योग विकास क्षेत्र में एमएसएमई की हिस्सेदारी में काफी वृद्धि हो सके।

एमएसएमई का भी राज्य के कुल निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान है। वैश्विकरण ने निर्माण क्षेत्र के सहयोग के लिये पर्याप्त अवसर खोल दिये हैं। वैश्विकरण की गतिशीलताद्वार प्रदान किये अवसरों को प्राप्त करने के लिये विभाग प्रतिबद्ध है, जो पिछले एक दशक में विकासशील देशों के लिए विनिर्माण हेतु परिवर्तित हुये है।

राज्य के एमएसएमई उद्योगों के लिये मध्यप्रदेश सरकार का दृष्टि पत्र प्रचुर अवसर हैं, असमानता न्यूनतम है। मध्यप्रदेश सरकार सबसे सक्रिय परिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से राज्य में एमएसएमई उद्योग कोसहयोग प्रदान करेगी।

4. शब्दावली

4.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई): एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 (i) विनिर्माण या उत्पादन, प्रसंस्करण या वस्तुओं के संरक्षण के लिये स्थापित संयंत्र और मशीनरी में निवेश और (ii) सेवाएं उपलब्ध कराने या प्रतिपादन में लगे उद्यमों के लिए स्थापित उपकरण में निवेश के आधार पर एमएसएमई को परिभाषित करता है।

संयंत्र और मशीनरी में निवेश मूल लागत में भूमि और भवन तथा अन्य मद जो लघु उद्योग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एस.ओ. 1722 (ई), दिनांक 05 अक्टूबर 2006 में दिए गए है, को छोड़कर किए गए निवेश से है।

एमएसएमईडी अधिनियम 2006 में परिभाषित संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में निवेश के संबंध में दिशा-निर्देशों अनुसार :

इकाई का प्रकार	विनिर्माण या उत्पादन, प्रसंस्करण या वस्तुओं के संरक्षण के लिये स्थापित संयंत्र और मशीनरी में निवेश (भूमि और भवन छोडकर)
सूक्ष्म	रू. 25 लाख से अधिक नही
लघु	रू. 25 लाख से अधिक तथा रू. 5 करोड़ से अधिक नहीं
मध्यम	रू. 5 करोड़ से अधिक तथा रू. 10 करोड़ से अधिक नहीं

इकाई का प्रकार	सेवाएं उपलब्ध कराने या प्रतिपादन में लगे उद्यमों के लिए स्थापित उपकरण में निवेश (भूमि और भवन छोडकर)
सूक्ष्म	रू. 10 लाख से अधिक नही
लघु	रू. 10 लाख से अधिक तथा रू. 2 करोड़ से अधिक नहीं
मध्यम	रू. 2 करोड़ से अधिक तथा रू. 5 करोड़ से अधिक नहीं

4.2 स्व-सहायता समूह: स्व-सहायता समूह, जो पारस्परिक मदद, पारस्परिक सहायता, और सहायता समूह के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे व्यक्तिओं का समूह है, जो एक दूसरे को पारस्परिक सहारा प्रदान करते है। एक स्व-सहायता समूह में सदस्य एक साधारण समस्या साझा करते है, जो एक सामान्य बीमारी या आदत होती है।

4.3 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (आईटीआई): औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण (डीजीईटी), कौशल विकास और उद्यमिता, मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ गठित माध्यमिक के पश्चात के विद्यालय है, जो विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

4.4 उत्कृष्टता का केंद्र (सीओई): सीओई एक टीम है, एक साझा सुविधा है या एक सत्ता है, जो नेतृत्व, सर्वोत्तम प्रथाए, अनुसंधान, समर्थन और /या प्रशिक्षण प्रदान करता है।

4.5 सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन: सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, संगठन के प्रबंधन के लिए एक संरचित व्यापक दृष्टिकोण है जो निरंतर प्रतिक्रिया के जवाब में चल रहें शोधन के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना चाहता है।

4.6 सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रम: देश में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ एमएसएमई और उनके सामुदायिक के क्षमता निर्माण को बढ़ाने और उनके विभिन्न सेवा प्रदाताओं, बैंकों और क्रेडिट एजेंसियों सहित, को सक्षम करने, अपनी सेवाएं और अधिक आर्थिक रूप से प्रदान करने के लिए, इस प्रकार लागत को कम करने और इन उद्यमों के लिए सेवाओं की उपलब्धता में सुधार के लिए है, यह भारत सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की एक पहल है।

4.7 बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर): बौद्धिक संपदा अधिकार एक सुरक्षा है, जो बौद्धिक संपदा के रचनाकारों को दी जाती है, जिसमें ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, औद्योगिक डिजाइन अधिकार, और कुछ अधिकार क्षेत्र के व्यापार राज शामिल हैं।

4.8 औद्योगिक पार्क : औद्योगिक पार्क एक क्षेत्र है, जो औद्योगिक विकास के उद्देश्य के लिए है।

4.9 स्टार्टअप : किसी इकाई को 'स्टार्टअप' के रूप मान्य किया जाएगा -

- अपने निगमन/पंजीकरण की दिनांक से 5 वर्ष तक
- यदि किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उसका कारोबार 25 करोड़ से अधिक न हो
- नवाचार और नए उत्पादों व सेवाओं का विकास की दिशा में कार्य करने वाली इकाई, जो प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा के द्वारा संचालित हो।

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दी गई स्टार्टअप की परिभाषा को मान्य किया जाएगा।

4.10 टूलरूम: टूलरूम सभी उद्योगों के लिए एक सुविधा है, जहां औजार भण्डार किये जाते है या, एक जगह जहां औजार निर्मित किये जाते है तथा उपयोग हेतु मरम्मत किये जाते है।

4.11 रुग्ण औद्योगिक इकाई: रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम (एसआईसीए) अनुसार ऐसी इकाई या कम्पनी (जिसका अस्तित्व कम से कम पांच वर्ष से रहा हो) जिसकी किसी भी वित्तीय वर्ष कें अंत में हुई संचित हानियां इसके सम्पूर्ण निवल मूल्य के समतुल्य या अधिक रही हों।

4.12 स्टेण्डअप इंडिया योजना: भारत सरकार की स्टेण्डअप इंडिया योजना अंतर्गत ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आवदेक तथा कम से कम एक महिला आवेदक को रूपये 10 लाख से रूपये 1 करोड़ तक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

4.13 मुद्रा योजना: सूक्ष्म इकाईयों से संबंधित विकास और पुनर्वित्त एजेन्सी (MUDRA) बैंक अंतर्गत **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना** (PMMY) भारत सरकार द्वारा स्थापित नवीन संस्था है, जो सूक्ष्म इकाईयों से जुड़े विकास व पुनर्वित्त गतिविधिओं के लिये है। मुद्रा का उद्देश्य गैर कॉर्पोरेट छोटे व्यवसाय के क्षेत्र के लिए धन उपलब्ध कराना है।

4.14 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 2008-09 में देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में रोजगार के सृजन के लिए भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है।

4.15 म.प्र. ट्रेड और इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन : म.प्र. ट्रेड और इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन निवेश को बढ़ावा देने और राज्य में सुविधा के लिए एकल खिड़की सचिवालय के रूप में काम कर रहा है।

4.16 मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम : मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम राज्य के लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और मध्य प्रदेश सरकार के स्टोर खरीद कार्य के लिए एक संस्था है।

4.17 म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम : म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम को उसके क्षेत्राधिकार में औद्योगिक विकास केन्द्रो की स्थापना के माध्यम से औद्योगिक विकास का उत्तरदायित्व सौपा गया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मध्यप्रदेश शासन
विन्ध्याचल भवन, भोपाल
फोन : 0755-2677966/988
फैक्स : 0755-2677943
ई-मेल : ic-mp@nic.in